CHETANA
International Journal of Education

Impact Factor
SJIF=5.689

Peer Reviewed/
Refereed Journal

ISSN-Print-2231-3613
Online-2455-8729

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

Received on 28th July 2020, Revised on 19th August 2020, Accepted 28th August 2020

शोध पत्र

भावी शिक्षिकाओं की स्व–सुरक्षा हेतु पैकेज निर्माण व उसकी प्रभावशीलता का अध्ययन

* **मन्जू कुमारी,** *शोधार्थी,*
डॉ. शशि चित्तौड़ा, *शोध निर्देशिका*
अधिष्ठाता एवं प्राचार्या,
लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, (सी.टी.ई.) डबोक, उदयपुर
जर्नादन राय नागर राजस्थन विद्यापीठ (डिम्ड–टू–बी) विश्वविद्यालय, उदयपुर

मुख्य शब्द : *भावी शिक्षिका, स्व–सुरक्षा, पैकेज निर्माण आदि.*

सारांश

हर परिवार के लिए उनकी महिला सदस्यों की सुरक्षा की चिन्ता का मुद्दा बन चुका है। अगर महिला सुरक्षा में कुछ सुधार करने हो तो सबसे पहले हर महिला को आत्म–रक्षा करने की तकनीक सिखानी होगी तथा उनके मनोबल को भी ऊँचा करने की जरूरत है। प्रस्तुत शोध कार्य का उद्देश्य भावी शिक्षिकाओं की स्व–सुरक्षा हेतु पैकेज निर्माण व उसकी प्रभावशीलता का अध्ययन करना। प्रस्तुत शोध कार्य सर्वेक्षण विधि द्वारा पूर्ण किया गया है। प्रस्तुत शोध कार्य में 40 भावी शिक्षिकाओं को न्यादर्श हेतु चुना गया है। दत्त संकलन हेतु स्वनिर्मित स्व–सुरक्षा पैकेज निर्माण एवं आत्मरक्षा ज्ञान एवं कौशल परीक्षण का प्रयोग किया गया। दत्तों के विश्लेषण हेतु शून्य परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया एवं सांख्यिकी पद्धतियों के रूप में मध्यमान, मानक विचनल तथा टी–परीक्षण का प्रयोग किया गया। सांख्यिकीय विश्लेषण के पश्चात् निष्कर्ष प्राप्त हुए कि भावी शिक्षिकाओं के लिए निर्मित स्व–सुरक्षा पैकेज द्वारा दी जाने वाली ''आत्मरक्षा के विभिन्न उपकरणों की जानकारी'' से पूर्व एवं पश्चात् भावी शिक्षिकाओं के कौशल के विकास में सार्थक अन्तर पाया गया। भावी शिक्षिकाओं के लिए निर्मित स्व–सुरक्षा पैकेज द्वारा ''आत्मरक्षा हेतु दिये गये प्रशिक्षण'' से पूर्व एवं पश्चात् भावी शिक्षिकाओं के कौशल के विकास में सार्थक अन्तर पाया गया।

प्रस्तावना

महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने और शिक्षित होने के चलते मध्य वर्गीय परिवार की महिलाएँ भी नौकरी, दुकानदारी अर्थात व्यापार, ब्यूटी पारलर, शिक्षक, डॉक्टर जैसे व्यवसायों में पुरूषों के समान कार्यों को अंजाम देने लगी हैं। शिक्षक, डॉक्टर, वकील, आई.टी., सी.ए., पुलिस जैसे क्षेत्रों में आज महिलाओं की बहुत माँग है, परन्तु हमारे समाज का ढ़ाँचा कुछ इस प्रकार का है कि महिला को कामकाजी होने के बाद भी नये प्रकार के संघर्ष से झूझना पड़ता है।

घर में सम्मान पाने, घरेलू हिंसा से बचने एवं परिजनों के अपमान से बचने के लिए जब एक महिला आत्म–निर्भर होने के लिए घर से बाहर निकलती है, तो उसे समाज और पुरूष सत्तात्मक सोच रखने वालों से सामना करना पड़ता है, अनेक लोगों की टीका टिप्पणियों अर्थात तानाकशी, घूरती निगाहों से सामना करना पड़ता है।

महिलाओं की सुरक्षा अपने आप में ही बहुत विस्तृत विषय है। पिछले कुछ सालों में महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचारों को देखकर हम यह तो बिलकुल नहीं कह सकते की हमारे देश में महिला पूर्ण तरीके से सुरक्षित है। महिलाएँ अपने आपको असुरक्षित महसूस करती है, खास तौर पर अगर उन्हें अकेले बाहर जाना हो तो। यह वाकई हमारे लिए शर्मनाक है कि हमारे देश में महिलाओं को भय में जीना पड़ रहा है। हर परिवार के लिए उनकी महिला सदस्यों की सुरक्षा की चिन्ता का मुद्दा बन चुका है। अगर महिला सुरक्षा में कुछ सुधार करने हो तो सबसे पहले हर महिला को आत्म–रक्षा करने की तकनीक सिखानी होगी तथा उनके मनोबल को भी ऊँचा करने की जरूरत है। इससे महिलाओं को विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं होगी।

अध्ययन का औचित्य

शोधकर्त्री को महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों, हिंसा के समाचार विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं, समाचार–पत्रों में पढ़ने एवं विभिन्न समाचार चैनलों पर सुनने को प्रति दिन मिलते हैं। अतः शोधकर्त्री के मन में यह विचार आया कि वर्तमान में महिला सुरक्षा एक ज्वलंत मुद्दा है। अतः इसके वास्तविक कारणों का पता लगाना चाहिए तथा महिलाओं की स्व–सुरक्षा हेतु प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्माण कर महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जिससे महिलाएं अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। इसके लिए शोधकर्त्री द्वारा अपने शोध का विषय ''भावी शिक्षिकाओं की स्व–सुरक्षा हेतु पैकेज निर्माण व उसकी प्रभावशीलता का अध्ययन'' चुना है।

शोध के उद्देश्य

- भावी शिक्षिकाओं के लिए निर्मित स्व–सुरक्षा पैकेज द्वारा दी जाने वाली ''आत्मरक्षा के विभिन्न उपकरणों की जानकारी'' से पूर्व एवं पश्चात् भावी शिक्षिकाओं के कौशल के विकास का अध्ययन करना।
- भावी शिक्षिकाओं के लिए निर्मित स्व–सुरक्षा पैकेज द्वारा ''आत्मरक्षा हेतु दिये गये प्रशिक्षण'' से पूर्व एवं पश्चात् भावी शिक्षिकाओं के कौशल के विकास का अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पनाएँ

- भावी शिक्षिकाओं के लिए निर्मित स्व–सुरक्षा पैकेज द्वारा दी जाने वाली ''आत्मरक्षा के विभिन्न उपकरणों की जानकारी'' से पूर्व एवं पश्चात् भावी शिक्षिकाओं के कौशल के विकास में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
- भावी शिक्षिकाओं के लिए निर्मित स्व–सुरक्षा पैकेज द्वारा ''आत्मरक्षा हेतु दिये गये प्रशिक्षण'' से पूर्व एवं पश्चात् भावी शिक्षिकाओं के कौशल के विकास में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

न्यादर्श

प्रस्तुत शोध में न्यादर्श के रूप में सीकर जिले की 40 भावी शिक्षकाओं को लिया गया है।

उपकरण

प्रस्तुत शोध हेतु निम्न उपकरणों का प्रयोग किया गया है–

(1) **भावी शिक्षिकाओं हेतु स्व–सुरक्षा पैकेज निर्माण–** स्वनिर्मित परीक्षण।

(2) **आत्मरक्षा ज्ञान एवं कौशल परीक्षण–** स्वनिर्मित परीक्षण।

सांख्यिकी

प्रस्तुत शोध में मध्यमान, मानक विचलन एवं टी–परीक्षण सांख्यिकी का प्रयोग किया गया है।

सांख्यिकीय विश्लेषण

परिकल्पना 1– भावी शिक्षिकाओं के लिए निर्मित स्व–सुरक्षा पैकेज द्वारा दी जाने वाली ''आत्मरक्षा के विभिन्न उपकरणों की जानकारी'' से पूर्व एवं पश्चात् भावी शिक्षिकाओं के कौशल के विकास में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या–1

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–अनुपात	स्वीकृत/अस्वीकृत
भावी शिक्षिकाओं का प्रशिक्षण से पूर्व आत्मरक्षा उपकरणों का ज्ञान	40	4.98	0.95	9.84	अस्वीकृत
भावी शिक्षिकाओं का प्रशिक्षण के पश्चात् आत्मरक्षा उपकरणों का ज्ञान		6.85	0.77		

0.05 स्तर पर टी का मान = 2.02 स्वतंत्रता के अंश = 38

0.01 स्तर पर टी का मान = 2.71

तालिका संख्या 1 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि भावी शिक्षिकाओं को पैकेज द्वारा दी गयी आत्मरक्षा के विभिन्न उपकरणों की जानकारी से पूर्व का मध्यमान 4.98 एवं मानक विचलन 0.95 है तथा भावी शिक्षिकाओं को पैकेज द्वारा दी गयी आत्मरक्षा के विभिन्न उपकरणों की जानकारी के पश्चात् का मध्यमान 6.85 एवं मानक विचलन 0.77 है। स्वतंत्रता के अंश 38 पर टी–मान 9.84 प्राप्त हुआ जो तालिका में दिये गये 0.05 एवं 0.01 स्तर के सार्थक टी–मान 2.02 एवं 2.71 से अधिक है। अतः हमारी परिकल्पना भावी शिक्षिकाओं के लिए निर्मित स्व–सुरक्षा पैकेज द्वारा दी जाने वाली ''आत्मरक्षा के विभिन्न उपकरणों की जानकारी'' से पूर्व एवं पश्चात् भावी शिक्षिकाओं के कौशल के विकास में कोई सार्थक अन्तर नहीं है, अस्वीकृत की जाती है।

परिकल्पना अस्वीकृत होने का कारण भावी शिक्षिकाओं में आत्मरक्षा के विभिन्न उपकरणों की जानकारी के ज्ञान का विकास प्रशिक्षण से पूर्व की अपेक्षा प्रशिक्षण के पश्चात् अधिक होने के कारण सार्थक अन्तर पाया गया।

परिकल्पना 2– भावी शिक्षिकाओं के लिए निर्मित स्व–सुरक्षा पैकेज द्वारा ''आत्मरक्षा हेतु दिये गये प्रशिक्षण'' से पूर्व एवं पश्चात् भावी शिक्षिकाओं के कौशल के विकास में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या–2

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–अनुपात	स्वीकृत/अस्वीकृत
भावी शिक्षिकाओं का आत्मरक्षा प्रशिक्षण से पूर्व का कौशल	40	6.80	0.99	4.23	अस्वीकृत
भावी शिक्षिकाओं का आत्मरक्षा प्रशिक्षण के पश्चात् का कौशल		7.73	0.99		

0.05 स्तर पर टी का मान = 2.02 स्वतंत्रता के अंश = 38

0.01 स्तर पर टी का मान = 2.71

तालिका संख्या 2 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि भावी शिक्षिकाओं को पैकेज द्वारा दी गयी आत्मरक्षा के प्रशिक्षण से पूर्व का मध्यमान 6.80 एवं मानक विचलन 0.99 है तथा भावी शिक्षिकाओं को पैकेज द्वारा दी गयी आत्मरक्षा के प्रशिक्षण के पश्चात् का मध्यमान 7.73 एवं मानक विचलन 0.99 है। स्वतंत्रता के अंश 38 पर टी–मान 4.23 प्राप्त हुआ जो तालिका में दिये गये 0.05 एवं 0.01 स्तर के सार्थक टी–मान 2.02 एवं 2.71 से अधिक है। अतः हमारी परिकल्पना भावी शिक्षिकाओं के लिए निर्मित स्व–सुरक्षा पैकेज द्वारा ''आत्मरक्षा हेतु दिये गये प्रशिक्षण'' से पूर्व एवं पश्चात् भावी शिक्षिकाओं के कौशल के विकास में कोई सार्थक अन्तर नहीं है, अस्वीकृत की जाती है।

परिकल्पना अस्वीकृत होने का कारण भावी शिक्षिकाओं में आत्मरक्षा के प्रशिक्षण से पूर्व के बजाय कौशल का विकास आत्मरक्षा प्रशिक्षण के पश्चात् अधिक होने के कारण सार्थक अन्तर पाया गया।

निष्कर्ष

- भावी शिक्षिकाओं के लिए निर्मित स्व–सुरक्षा पैकेज द्वारा दी जाने वाली ''आत्मरक्षा के विभिन्न उपकरणों की जानकारी'' से पूर्व एवं पश्चात् भावी शिक्षिकाओं के कौशल के विकास में सार्थक अन्तर पाया गया।
- भावी शिक्षिकाओं के लिए निर्मित स्व–सुरक्षा पैकेज द्वारा ''आत्मरक्षा हेतु दिये गये प्रशिक्षण'' से पूर्व एवं पश्चात् भावी शिक्षिकाओं के कौशल के विकास में सार्थक अन्तर पाया गया।

सन्दर्भ

- अंसारी, एम. ए. (2014) : ''महिला और मानवाधिकार'', जयपुर, ज्योति प्रकाशन।
- चौहान, वीना (2012) : ''नारी कभी ना हारी'', जयपुर, साहित्यगार प्रकाशन।
- जैन, दीपा (2007) : ''महिला सुरक्षा एवं महिला पुलिस'', जयपुर, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
- जैन बलिदान, हर्ष कुमार एवं श्रीवास्तव साधना (2016) : ''जेण्डर, विद्यालय एवं समाज'', जयपुर, जैन प्रकाशन मन्दिर।
- माथुर, प्रियंका (2013) : ''महिला सशक्तिकरण", जयपुर, ज्योति प्रकाशन।

**** Corresponding Author***

मन्जू कुमारी, *शोधार्थी,*

डॉ. शशि चित्तौड़ा, *शोध निर्देशिका, अधिष्ठाता एवं प्राचार्या,*

लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, (सी.टी.ई.) डबोक, उदयपुर

जर्नादन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डिम्ड–टू–बी) विश्वविद्यालय, उदयपुर